संख्या–/26/XVIII(2)/2017/2(5)/चमोली/ 2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 02 नवम्बर, 2017

विषयः–जनपद चमोली के तहसील घाट के अन्तर्गत अत्यधिक संवेदनशील ग्राम कनोल के सीमार, फाकी व लोध तोक के आपदा प्रभावित 60 परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6325/तेरह–52(2015–16 दिनांक गोपेश्वर 10 अगस्त 2016 एवं पत्र संख्या–5605/तेरह–52(2012–13) दिनांक 28 अगस्त 2017 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के तहसील घाट के अन्तर्गत अत्यधिक संवेदनशील ग्राम कनोल के सीमार, फाकी व लोध तोक के आपदा प्रभावित 60 परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति, 2011 के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिये भवन निर्माण हेतु रू0 3.00 लाख, गोशाला निर्माण हेतु रू0 15,000 तथा विस्थापन भत्ता के रूप में रू0 10,000 इस प्रकार कुल रू0 3.25 लाख प्रति परिवार की दर से 60 परिवारों हेतु कुल रू0 1,95,00,000/– रू0 एक करोड़ पिचान्नबें लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा, जिस मद/प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी की होगी।

2– प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2063/XVIII-(2)/11–16(1)/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2011 के माध्यम से जारी नीति/दिशानिर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3– किसी परिवार के मुखिया के पुत्र/पुत्रियों को अलग–अलग परिवार तभी माना जायेगा, जबकि पुत्र–पुत्रियों का विवाह हो चुका हो एंव वे अलग–अलग निजी/स्वयं के मकानों में निवासरत हो। एक ही मकान में रह रहे परिवारों के सदस्यों को अलग–अलग लाभ नहीं दिया जायेगा।

4– उक्त धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि आपदा परिवारों द्वारा विस्थापित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन भूकम्परोधी बनायें जाने होगें तथा इस हेतु जनपद स्तर पर आपदा विभाग द्वारा प्रशिक्षित ट्रेनर (राज मिस्त्री) का सहयोग लिया जायेगा एवं निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर तैनात अवर अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जायेगा तथा ऐसे निर्मित भवनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद कार्यालय में रखी जायेगी एवं इसकी एक प्रति शासन/डी0एम0एम0सी0 सचिवालय परिसर को भी प्रेषित करना होगा।

.....2

5– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य –102 विनाश वाले क्षेत्रों में अकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध–04 दैवी आपादाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–153 मतदेय/वित्त अनु0–5/2017 दिनांक 31.10. 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या/28 (1)/XVIII(2)/2017/2(5)/ चमोली/ 2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
7. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–5
11. अनुभाग अधिकरी, आपदा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रीता क्वीरा)
अनु सचिव।